

झारखण्ड गजट
असाधारण अंक
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 829

15 अग्रहायण, 1930 शकाब्द
राँची, शनिवार 6 दिसम्बर, 2008

विधि (विधान) विभाग

अधिसूचना

5 दिसम्बर, 2008

संख्या-एल0जी0-9/2008-80/लेज0--झारखण्ड विधान मंडल का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर राज्यपाल दिनांक 24 नवम्बर, 2008 को अनुमति दे चुके हैं, इसके द्वारा सर्वसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है।

झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग अधिनियम, 2008

[झारखण्ड अधिनियम 16, 2008]

झारखण्ड सरकार के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन वर्ग 'ग' के प्रावैधिक तथा अ-प्रावैधिक पदों की चयन की प्रक्रिया में एकरूपता लाने हेतु झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग (झा0क0च0आ0) के गठन संबंधी अधिनियम।
प्रस्तावना।-

चूँकि प्रतियोगिता परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले उम्मीदवारों की संख्या में बड़े पैमाने पर वृद्धि हो गई है और झारखण्ड लोक सेवा आयोग का दायित्व कई गुणा बढ़ गया है, इसलिए राज्य सरकार, निगमों, बोर्डों, प्राधिकारों एवं सरकार की अन्य एजेंसियों के अंतर्गत वर्ग 'ग' की नियुक्तियों का दायित्व उठाने के लिए झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग के नाम से एक पृथक आयोग का गठन की त्वरित आवश्यकता महसूस की गई;

और, इसलिए कि फिटमेंट कमिटी के अध्याय 7 की कंडिका 7.3.13 (डी) के अंतर्गत अपने प्रतिवेदन (Volume IV, Book-2) में अनुशंसा की है कि कर्मचारी चयन आयोग की तरह एक आयोग के गठन की संभावना पर विचार किया जाय;

और, इसलिए कि इन परिस्थितियों में वर्ग 'ग' के पदों पर योग्य उम्मीदवारों की नियुक्ति प्रक्रिया में एकरूपता लाने के लिए झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग के गठन के लिए एक अधिनियम अधिनियमित करना समीचीन है;

अतः भारत गणराज्य के 59वें वर्ष में झारखण्ड विधान-सभा द्वारा यह निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हो:-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ।

- (i) यह अधिनियम झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग अधिनियम, 2008 कहा जा सकेगा।
- (ii) इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा।
- (iii) यह तुरंत प्रवृत्त होगा।

2. परिभाषाएँ।- इस अधिनियम में जब तक कोई बात विषय या संदर्भ के विरुद्ध न हो -

- (क) "अधिनियम" से अभिप्रेत है झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग अधिनियम, 2008;
- (ख) "राज्य सरकार" से अभिप्रेत है झारखण्ड सरकार;
- (ग) "आयोग" से अभिप्रेत है इस अधिनियम की धारा-3 के अंतर्गत झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग;

- (घ) “अध्यक्ष” से अभिप्रेत है झारखण्ड कर्मचारी आयोग के अध्यक्ष ;
(ड.) “सदस्य” से अभिप्रेत है झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग के सदस्य ;
(च) “नियमावाली” से अभिप्रेत है इस अधिनियम के अधीन बनायी गई नियमावली।

3. आयोग का गठन।- झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग का गठन निम्नलिखित को मिलाकर किया जायेगा:-

- (क) अध्यक्ष - राज्य सरकार द्वारा नियुक्त भारतीय प्रशासनिक सेवा के सुपर टाईप स्केल से अन्यून पंक्ति के न्यूनतम तीन वर्ष की अवशेष सेवा वाले एक पदाधिकारी।
(ख) सदस्य - राज्य सरकार द्वारा नियुक्त रूपये 14300-18300 (अथवा समय-समय पर यथा पुनरीक्षित समरूप वेतनमान) से अन्यून वेतनमान तथा न्यूनतम तीन वर्ष की अवशेष सेवा वाले अखिल भारतीय सेवाओं/राज्य सेवाओं के दो पदाधिकारी।
(ग) अध्यक्ष/सदस्यों की नियुक्ति:- अध्यक्ष/सदस्यों का नियुक्ति प्राधिकार, राज्य सरकार होगी।

4. आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल।-

(i) आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल, चार वर्षों अथवा वाधर्यक्य सेवानिवृत्त होने तक जो भी पहले हो, का होगा।

(ii) अध्यक्ष/सदस्य को प्रमाणित कदाचार के आरोप में राज्य सरकार के आदेश से हटाया जा सकेगा। परन्तु ऐसा करने के पूर्व संबंधित अध्यक्ष/सचिव को सूने जाने का एक मौका दिया जायेगा।

5. सेवा/संवर्ग/पद, जिनकी नियुक्ति हेतु आयोग अनुशंसा करेगी।- आयोग राज्य सरकार के अधीन सभी सामान्य/प्रावैधिक/अप्रावैधिक सेवाओं/संवर्गों या राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित समूह ‘ग’ के पदों पर नियुक्ति हेतु अनुशंसा कर सकेगा।

6. अधीनस्थ पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों की सेवा शर्तें।- अधीनस्थ पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों की सेवा शर्तें वही होगी जो समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जायेगी।

7. आयोग का मुख्यालय एवं प्रशासी विभाग।- आयोग का मुख्यालय राँची में रहेगा। कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग आयोग का प्रशासी विभाग होगा।

8. चयन की प्रक्रिया।- राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से आयोग, विभिन्न सेवाओं/पदों के लिये चयन की प्रक्रिया का सुत्रीकरण करेगा।

9. शक्तियों का प्रत्यायोजन।- (i) प्रशासनिक एवं वित्तीय शक्तियों के मामले में आयोग के अध्यक्ष राज्य सरकार में विभागाध्यक्ष की शक्तियों का प्रयोग करेंगे।

(ii) आयोग के अध्यक्ष एक सदस्य को परीक्षा नियंत्रक के कर्तव्य सौंप सकेंगे एवं दूसरे सदस्य को प्रशासनिक शाखा के कर्तव्य सौंपे जा सकेंगे।

10. तृतीय वर्ग के पदों से संबंधित लंबित चयन कार्यों का अंतरण।- धारा-5 में यथा उल्लिखित ऐसे पदों, जिनके संबंध में झारखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा इस अधिनियम के प्रवृत्त होने की तिथि तक विज्ञापन प्रकाशित न किया गया हो, में नियुक्ति के लिए सभी चयन झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा किया जाएगा। झारखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापन निर्गत किए जा चुके पदों के लिए चयन की प्रक्रिया झारखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा पूर्ण की जाएगी।

11. वित्तीय प्रावधान।- आयोग के कार्यालय और आयोग के कार्य संपादन में होने वाला संपूर्ण व्यय राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। आयोग, विभिन्न परीक्षाओं/चयन के आयोजनों के लिये अभ्यर्थियों से शुल्क प्राप्त कर सकेगा जो आयोग द्वारा राज्य कोषागार में जमा किया जाएगा।

12. नियमावाली बनाने की शक्ति।-

(i) इस अधिनियम के प्रावधानों को कार्यान्वित करने हेतु राज्य सरकार को नियमावली बनाने की शक्ति होगी।

(ii) आयोग को राज्य सरकार के अनुमोदन से, विज्ञापनों का प्रकाशन, लिखित परीक्षाओं का संचालन, परीक्षाफलों का प्रकाशन, व्यक्तित्व परीक्षण/साक्षात्कार, यदि कोई हो, के संचालन एवं अन्य कार्यों हेतु विनियमावली विरचित करने की शक्ति प्राप्त होगी।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,
प्रशान्त कुमार,
सरकार के सचिव।

अधिसूचना

5 दिसम्बर, 2008

संख्या-एल0जी0-9/2008-81/लेज0- झारखण्ड विधान मंडल द्वारा यथापारित और राज्यपाल द्वारा दिनांक 24 नवम्बर, 2008 को अनुमत झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग अधिनियम, 2008 का निम्नांकित अंग्रेजी अनुवाद झारखण्ड राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारती संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड-(3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायगा:-

THE JHARKHAND STAFF SELECTION COMMISSION

ACT, 2008

[JHARKHAND ACT 16, 2008]

AN ACT for the constitution of Jharkhand Staff Selection Commission (J.S.S.C.) for bringing uniformity in the process of selection of the technical and non-technical posts class III under the administrative control of the Government of Jharkhand.

Preamble

As there has been a large scale increase in the number of candidates appearing for competitive examinations and the responsibilities of Jharkhand Public Service Commission have increased manifold Therefore it has been considered as expedient to constitute a separate Commission namely "Jharkhand Staff Selection Commission" to take over the responsibility or recruitment of group C posts under the State Government Corporations, Boards, Authorities and other Agencies of the State Government;

And, as the Fitment Committee in its report (Vol. IV, Book-2) under chapter-7, para-7-3-1313 (d) has given its recommendation to consider the probability of constitution of a Commission like Staff Selection Commission,

And, as in these circumstances, it is appropriate to regulate an Act for the constitution of Jharkhand Staff Selection Commission to bring uniformity in the selection procedure for the appointment of eligible candidates to the posts of Class-3.

Now, therefore, be it enacted by the Legislature of the State of Jharkhand in the Fifty ninth year of the Republic of India as follows :-

1. SHORT TITLE, EXTENT AND COMMENCEMENT-

- (i) This Act may be called the Jharkhand Staff Selection Commission Act, 2008.
- (ii) It extend to the entire State of Jharkhand
- (iii) It shall come into force immediately.

2. DEFINITIONS-

In this Act unless the context otherwise requires :-

- (A) "Act" refers to the Jharkhand Staff Selection Commission Act, 2008.
- (B) "State Government" means the Government of Jharkhand.
- (C) "Commission" means the Jharkhand Staff Selection Commission under section 3 of this Act.
- (D) "Chairman" means the Chairman of Jharkhand Staff Selection Commission
- (E) "Member" means the member of Jharkhand Staff Selection Commission.
- (F) "Rules" means the rules framed under this Act.

3. CONSTITUTION OF COMMISSION-

The Jharkhand Staff Selection Commission shall be constituted as follows:-

- [A] Chairman- An officer of the Indian Administrative Service, appointed by the State Government not below the rank of Super-time Scale with at least three years of service remaining.
- [B] Member- Two officers of All India Services/State Services, appointed by the State Government not below the pay scale of Rs. 14300-18300 (or similar pay scale revised time to time) with at least three years of remaining.
- [C] Appointment of Chairman/Members- The State Government shall be the appointing authority for the Chairman/Members.

4. TENURE OF CHAIRMAN & MEMBERS.

- (i) The Tenure of Chairman & Members shall be of four years or till superannuation, whichever be earlier.
- (ii) The Chairman or the Members can be removed from post on grounds of proven misconduct by the State Government provided that before removal, the Chairman/Members shall be given an opportunity of being heard.

5. SERVICES/CADRES/POST FOR WHICH COMMISSION MAY RECOMMEND FOR THE APPOINTMENT -

The Commission may recommend for the appointment of all General/Technical/Non Technical services/Cadres/Posts under the State Government for all groups 'C' posts or as may be determined by the State Government from time to time.

6. SUB-ORDINATE OFFICERS & EMPLOYEES-

The Service Conditions of the subordinate officers and employees shall be such as will be determined by the State Government from time to time.

7. HEADQUARTER OF COMMISSION 7 ADMINISTRATIVE DEPTT. -

The headquarter of the Commission shall be at Ranchi. The Department of Personnel, Administrative Reforms & Rajbhasha shall be the administrative Department of the Commission.

8. PROCESS OF SELECTION-

The Commission shall formulate the process of selection for different services/posts with the prior approval of the State Govt.

9. DELEGATION OF POWERS-

- (i) As regards Administrative and Financial Powers, the Chairman of the Commission would exercise the powers of the Head of Department.
- (ii) The Chairman of the Commission shall delegate the duties of examination controller to one of the members and the duties of Administrative matters to the other member.

10. TRANSFER OF PENDING SLECTION WORK WITH RESPECT TO CLASS THREE POSTS -

All selection for recruitment to the posts as mentioned in section-5, for which the Jharkahnd Public Service Commission has not advertised till the enactment of this Act would be done by Jharkhand Staff Selection Commission. The Selection process of the posts which has been advertised by Jharkhand Public Service Commission will be completed by Jharkhand Public Service Commission.

11. FINANCIAL PROVISION-

All expenditure incurred in the functioning of the office of the commission shall be met by State Government. The Commission shall receive fees from the candidates for the examination/selection which has to be deposited in the State treasury.

12. POWER TO FORMULATE RULE-

- (i) The State Government shall have the power to make Rules for the implementation of provisions of this Act.

- (ii) The Commission shall have the powers to frame Regulations, with the approval of the State Government, for the conduct and other work of the advertisement, conduct of written examination, publication of examination results, personality Test/Interviews, if any.

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,
प्रशान्त कुमार,
सरकार के सचिव।

झारखण्ड सरकार
विधि (विधान) विभाग
झारखण्ड मंत्रालय धूर्वा, राँची-834004
-अधिसूचना-

राँची, दिनांक-12 नवम्बर, 2015

संख्या-एल0जी0-25/2015-138/लेज0 झारखण्ड विधान मंडल का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर राज्यपाल दिनांक-30/10/2015 को अनुमति दे चुके हैं इसके द्वारा सर्वसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है।

झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2015
(झारखंड अधिनियम, 19, 2015)

प्रस्तावना:-

चूँकि राज्य के अन्तर्गत स्थानीय निकायों, राज्य के लोक उपक्रमों, राज्य के विश्वविद्यालयों के अधीन पदों एवं सभी वर्दीधारी पदों पर नियुक्ति हेतु अनुशंसा करने की शक्ति झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग को नहीं रहने के कारण इन पदों पर नियुक्ति करना संभव नहीं हो पा रहा है। इनमें कई पदों पर राज्य हित में शीघ्र नियुक्ति करने की आवश्यकता है, और इसके लिए कर्मचारी चयन आयोग को शक्ति प्रदान करने हेतु संगत अधिनियम में कतिपय संशोधन करना आवश्यक हो गया है।

अतः भारत गणराज्य के 66 वें वर्ष में झारखण्ड विधान सभा द्वारा यह निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हो:-

1. संक्षिप्त नाम, एवं विस्तार और प्रारंभ-

- (i) यह अधिनियम "झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2015" कहलाएगा।
(ii) यह तुरंत प्रवृत्त होगा।

2. झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग अधिनियम 2008 (यथा संशोधित) की धारा-5(i) एवं इसके परन्तुक संशोधित करते हुए प्रतिस्थापन:-

“5 (i) आयोग राज्य सरकार के अधीन वर्ग- ‘ग’ के सभी पदों एवं वर्ग ‘ख’ के अराजपत्रित सभी सामान्य/प्रावैधिक/अप्रावैधिक सेवाओं/संवर्गों के पदों, स्थानीय निकायों, राज्य के लोक उपक्रम, राज्य के विश्वविद्यालय के अधीन पदों एवं सभी वर्दीधारी पदों (युनिफार्म सेवा नियुक्ति पर्वद के द्वारा नियुक्ति की प्रक्रिया आरंभ किये जाने तक), जिन पर आंशिक अथवा पूर्ण रूप से सीधी नियुक्ति का प्रावधान हो, एवं जिसका चयन झारखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा नहीं होता है, पर नियुक्ति हेतु अनुशंसा कर सकेगा”।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,
ह0/-
(बी0वी0 मंगलमूर्ति)
प्रधान सचिव-सह-विधि परामर्शी
विधि (विधान) विभाग, झारखण्ड, राँची।